न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

रैफरेंस संख्या 106/2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रुपवास जिला भरतपुर

....प्रार्थी

बनाम

रुपचन्द पुत्र कौम खत्री निवासी रुपवास तहसील भरतपुर

.....अप्रार्थी

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 1956/1057 रकवा 0.02 वीघा के विरुद्ध बिना आंबटन के दर्ज गैर खातेदारी/ खातेदारी को निरस्त कर सिवाय चक दर्ज करने बाबत।

उपस्थितः—
1—राजकीय अभिभाषक प्रार्थी,

निर्णय

दिनांकः— 28.10.2021

प्रार्थी तहसीलदार रुपवास ने यह रेफरेन्स एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आश्य का पेश किया गया है, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1956/1057 रकवा 0.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन तालाब बाके ग्रांम रुपवास, तहसील रुपवास में स्थित है। जमाबन्दी संवत् 2069—2072 में आराजी खसरा नम्बर 1956/1057 रकवा 0.02 गैर मुमकिन तालाब पर अप्रार्थी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सं0 2012—2015 के राजकीय खाता सं. 714 खसरा नम्बर 1057 किस्म भूमि तालाब के रुप में इन्द्राज रहा है। अप्रार्थी को बिना किसी आंबटन के हुक्म खातेदारी जरिये नामान्तरकरण संख्या 847 निर्णय दिनांक 05.09.1973 खातेदार दर्ज किया गया है, जमाबन्दी सम्वत् 2029—2032 सलंग्न है। उक्त वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित

जिला कलक्टर
(राज.)

भूमियों में से है जिसका नियमन नहीं किया जा सकता है, और उस पर खातेदारी अधिकार देना विधि विरुद्ध है। उक्त भूमि पर खातेदारी प्रभाव शून्य है। वर्णित भूमि पर दर्ज निजी खातेदारी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटिसन नं. 1536/2003 अब्दूल रहमान बनाम राज्य सरकार वगैरा के तहत जारी आदेश 02–08–2004 में दिये निर्देशों के अनुसार निरस्त की जाकर राजकीय स्वामित्व के सिवाय चक खाते में दर्ज करने योग्य है। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव, जयपुर राजस्थान के लोकायुक्त प्रकरण क्रमांक 11(151)लो,आ.सं./2013/15899 दिनांक 20.02.2014 तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश जनहित याचिका डीबी सिविल रिट पिटिसन नं. 14757/2017, पुरुषोत्तम बनाम राज्य सरकार वगैरा के तहत जारी आदेश दिनांक 27.11.2017 में दिये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेस प्रकरण प्रेषित है। प्रार्थी तहसीलदार ने अन्त में प्रार्थना कि है कि खसरा संख्या 1956/1057 रकवा 0–02 बीघा किस्म गैर मुमकिन तालाब पर दर्ज खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 847 आदि को निरस्त फरमाये जाकर भूमि को पूर्व की भांति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी पर नोटिस असालतन तामील होकर शामिल मिसिल है। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आया है। अतः राजकीय अभिभाषक की बहस इकतरफा में सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1956/1057 रकवा 0.02 किस्म गैर मुमकिन तालाब राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 ग्रांम रुपवास में दर्ज है। सवत् 2012 जमाबन्दी में खसरा नम्बर 1057 गै.मु. दर्ज है। बिना किसी आदेश के अप्रार्थी को हुक्मन नामान्तकरण संख्या 847 से खातेदार राजस्व रिकार्ड विधि विरुद्ध दर्ज कर दिया गया है। ऐसी भूमियॉ धारा 16 राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिबन्धित क्षेत्र की भूमियों मे आती है। जिस पर किसी को आबटन नियमन नहीं किया जा सकता है। रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर तहसीलदार द्वारा विधि विरुद्व दी खातेदारी को निरस्त किया जाकर भूमि को पूर्व की भांति राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने के आदेश हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थी का बाबजूद सूचना उपस्थित नही आना अप्रत्यक्ष रुप से यह दर्शाता है कि उसे इस प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। तहसीलदार रुपवास द्वारा उसके खिलाफ लगाये गये आरोप उसे स्वीकार हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजकीय अभिभाषक कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संव 2069–2072 में आराजी खसरा नम्बर 1956/1057 रकवा 0.02 बीघा किस्म गैर मुम तालाब रुपचंद बल्द मुरलीधर कौम खत्री सा. देह खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2012 में उक्त खसरा नम्बर 1057 रकवा 9 बीघा 7 विस्वा मकबूजा सरकार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2029–2032 में खसरा नम्बर 1057 रकवा 0–02 विस्वा पर रूपचन्द बल्द मुरलीधर कौम खत्री सा.देह खातेदार दर्ज है एवं भूमि का प्रकार वाले कॉलम में गैरमुमकिन तालाब दर्ज है। उक्त जमाबन्दी के अन्तिम कॉलम में जरिये नामान्तरकरण संख्या 847 हुक्मन का नोट दर्ज है। उक्त नोट से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी को हुक्मन खोले गये नामान्तरकरण संख्या 847 से खातेदारी दी गई है।

इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से यह यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी संवत 2029–2032 में गैर मुमकिन तालाब के रुप में दर्ज रही है एवं आज दिनांक तक गैर मुमकिन तालाब के रुप दर्ज चली आ रही है। जहॉ तक मौके पर वर्तमान स्थिति का प्रश्न है मुताविक रिपोर्ट पटवारी आराजी पर पुख्ता निर्माण किया हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में ऐसी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

भूमियों जिन पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होंगे का उल्लेख किया हुआ है एवं धारा 16(2) में नदी तल एवं तालब की भूमि भी सम्मिलित है। अर्थात विवादित आराजी तालाब की भूमि प्रतिबंधित किस्म की श्रेणी में शामिल है। अतः उपर्युक्त समस्त विवरण से विवादित भूमि खसरा नम्बर 1057 रकवा 0–02 बीघा आर.टी.एक्ट की धारा 16(2) के तहत् प्रतिबन्धित किस्म की भूमि होना साबित है। ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अतः विवादित आराजी की पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है किः–

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स उपयुर्क्त विवेचनानुसार स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार रुपवास द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1057 रकवा 0–02 बीघा विस्वा ग्राम रुपवास विधि विरुद्ध दिये गये गैर खातेदार एवं खातेदारी जरिये नामान्तरकरण संख्या 847 को निरस्त किया जावे तथा विवादित आराजी पर वर्तमान में हो रहे सभी इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर पूर्व की स्थिति रिकार्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जावें। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 28.03.2022 को उपस्थित हों। निर्णय की प्रति तहसीलदार रुपवास को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)